

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2023—माघ 7, शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2023

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1 (ए) 186-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22 दिसम्बर 2022 को निरस्त करते हुए, उसके स्थान पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 16 से 20 जनवरी 2023 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 व 21-22 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. आदेश की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2023

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1 (ए) 19-2019-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30 नवम्बर 2023 द्वारा डॉ. रविन्द्र वर्मा, भापुसे-17, सेनानी, 10वीं लाहिनी, विसबल, सागर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार में दिनांक 21 से 30 नवम्बर 2022 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश अर्थात् भारत भ्रमण अंतर्गत परिवार सहित कोच्चि (केरल) की यात्रा की अनुमति प्रदान की गई थी.

631

(2) अतः, उक्त स्वीकृत अवकाश यात्रा सुविधा के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है।

(3) आदेश की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेगी,

क्र. एफ 1(ए)70-2020-ब-2-दो.—राज्य शासन, डॉ. ऋषिकेश मीणा, भापुसे, नगर पुलिस अधीक्षक, मुरार, ग्वालियर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 में दिनांक 7 से 14 जनवरी 2023 तक, कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत कोच्चि (केरल) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:—

- | | | | |
|----|---------------------|---|--------|
| 1. | डॉ. ऋषिकेश मीणा | - | स्वयं |
| 2. | श्रीमती स्वाती मीणा | - | पत्नी |
| 3. | कु. ऋषा मीणा | - | पुत्री |

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. ऋषिकेश मीणा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नगर पुलिस अधीक्षक, मुरार, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. ऋषिकेश मीणा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. ऋषिकेश मीणा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 87-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, सुश्री चैत्रा एन. भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक शिकायत, पु. मु., भोपाल का दिनांक 2 से 27 जनवरी 2023 तक, छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं 01 जनवरी व 28-29 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा, एन. भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक शिकायत, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री चैत्रा, एन. भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री चैत्रा एन. भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2023

संशोधित अधिसूचना

फा. क्र. 193-इक्कीस-ब(एक)-2023.—कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17(ई) 17-2016-इक्कीस-ब(एक)-1888-19, दिनांक 2 अप्रैल, 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 12 अप्रैल, 2019 में प्रकाशित की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्वारा, नीचे सारणी के कॉलम (3) में दर्शित न्यायाधीश (जिला न्यायाधीश स्तर) को उसके कॉलम (2) में दर्शित जिले एवं उसके अधीन आने वाले जिलों के लिए, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित प्रकरणों का निपटारा करने के लिए न्यायाधीश, वाणिज्यिक अपील न्यायालय के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात:—

सारणी

अनु. क्र.	जिला	न्यायाधीश-जिला न्यायाधीश स्तर
(1)	(2)	(3)
“3.	जबलपुर	श्री यशवंत मालवीय, चौबीसवें जिला न्यायाधीश, जबलपुर.”

F. No. 193-XXI-B-(1)2023.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commercial Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016) and in light of this department's Notification No. F. No. 17(E) 17-2016-XXI-B (1) 1888-19, dated 2nd April, 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 12th April, 2019 issued under Section 3 of the said Act, the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Judicial Officer at District Judge level shown in column No. (3) of the Table below for the District shown in column No. (2) thereof and districts falling under it, to be a Judge, Commercial Appellate Court, to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes, namely:—

TABLE

S. No.	District	Judge-District Judge Level
(1)	(2)	(3)
“3.	Jabalpur	Shri Yashwant Malviya, XXIV th District Judge, Jabalpur.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 11-1-2006-उन्तीस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 20(1) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री राहुल सिंह, माननीय पूर्व विधायक, दमोह को मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक, नियुक्त करता है।

2. तदनुसार राज्य शासन वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 20(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री राहुल सिंह, माननीय पूर्व विधायक, दमोह को मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

3. यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैलाश बुन्देला, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 नवम्बर 2022

क्र. 8499-वि.लि.-1(ए)-2022.—मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34(क) के अनुसार, छिन्दवाड़ा जिले में निम्नानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को, इस अधिनियम के अंतर्गत, पंजीयक, लोक न्यास की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती हैं :—

स. क्र.	राजस्व अनुभाग का नाम	राजस्व अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1	अनुभाग छिन्दवाड़ा	पदेन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छिन्दवाड़ा
2	अनुभाग चौरई	पदेन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चौरई
3	अनुभाग अमरवाड़ा	पदेन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अमरवाड़ा
4	अनुभाग परासिया	पदेन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), परासिया
5	अनुभाग जुन्नारदेव	पदेन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जुन्नारदेव
6	अनुभाग पांडुर्णा	पदेन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पांडुर्णा
7	अनुभाग सौंसर	पदेन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर

श्रीतला पटले, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 24 नवम्बर 2022

भू-अर्जन-प्र. क्र. 0023-अ-82-2022-23-नस्ती क्र. 22-एल.ए.-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने लिए प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित पलासी लघु सिंचाई तालाब के नहर निर्माण कार्य की प्रकृति लोकहित अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खण्डवा	चिचगोहन	2.82	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.
				पलासी लघु सिंचाई तालाब के नहर निर्माण कार्य .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 6 जनवरी 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-22-23-पत्र क्र. 18-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं

कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय में विनिर्दिष्ट के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	सुरदहा खुर्द	8.359	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-22-23-पत्र क्र. 19-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	रेउसा	10.365	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-22-23-पत्र क्र. 20-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई

विलंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	कोटा	1.432	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-22-23-पत्र क्र. 22-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	कठवरिया	10.683	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना (म. प्र.).	बुरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-22-23-पत्र क्र. 21-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई

विलंगम सृजित नहीं करेगा:—

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) मढी कला	(4) 3.145	(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना (म. प्र.).	(6) बर्गी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-22-23-पत्र क्र. 23-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा:—

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) जसो	(4) 16.146	(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना (म. प्र.).	(6) बर्गी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु, जिला इन्दौर

राजभवन, भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2023

क्र. एफ-1-6-22-रा.स.-यू.ए.1-44.—डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2016) की धारा 09 की उपधारा (1) सहपठित परिनियम 05 की कंडिका 2.1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु, जिला इन्दौर (म. प्र.), एतद्द्वारा, डॉ. रामदास गोमाजी आत्रम, निदेशक, शासकीय इंस्टीट्यूट ऑफ फारेंसिक साइंस, नागपुर (महाराष्ट्र) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, के लिए डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु, जिला इन्दौर का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-5 के अनुसार शासित होंगी.

3. यह नियुक्ति आदेश दिनांक 28 जनवरी 2023 से प्रभावशील होगा.

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

क्र.-4040-भू-अर्जन-2022

राजगढ़, दिनांक 8 दिसम्बर 2022

क्रमांक 01 / 1000/भू-अर्जन/2022 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक - 01/अर्जन/2022 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम चारपुरा स.क्र.	विवरण	तहसील नरसिंहगढ़		
		अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैं०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	0.177 हे०	-	0.177 हे०

अनुसूची (2)

स०क्र०	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं०	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	रोड़सिंह,गोपाल,कमला बाई पिता नाथ, संपत भाई बेवा नत्या जाति काछी निवासी ग्राम भू-स्वामी	47/1	2.140	0.033	-	0.033
2	पर्वतसिंह खेमचंद,सोरामबाई पिता बद्रीलाल नाथियाबाई बेवा बद्रीलाल जाति काछी निवासी ग्राम भू-स्वामी	48/2	2.051	0.144	-	0.144
	कुल किता -2	2	4.191	0.177	-	0.177

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग

क्र.-290-भू-अर्जन-2023

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 जनवरी 2023

चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-धगडिया माला प0ह0न-01, ब.न.-277, रा.नि.म.-सावरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-01.296 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	152	0.080 -
2	154/1	0.025 -
3	154/2	0.015 -
4	158/1	0.130 -
5	158/2	0.306 -
6	158/3	0.260 -
7	158/4	0.200 -
8	158/5	0.280 -
	योग :-	कुल रकबा-01.296 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-संगम-2 बांध परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-साँसर, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग तामिया जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.-291-भू-अर्जन-2023

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-महेलारी बाकुल प0ह0न-05, ब.न.-482, रा.नि.मं.-लावाघोघरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-04.210 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1.	183/2	0.160
2.	183/7	0.110
3.	183/11	0.030
4.	183/8	0.090
5.	183/9	0.070
6.	180/1	0.180
7.	187/1	0.040
8.	187/4	0.760
9.	187/5	01.600
10.	188	01.230
	योग :-	कुल रकबा-04.210 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-संगम-2 बांध परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग तामिया जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.-292-भू-अर्जन-2023

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-रहप प0ह0न-02, ब.न.-499, रा.नि.म.-सांवरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-11.280 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	179	0.340
2	181	2.649
3	183/1	0.811
4	183/2	1.161
5	221	1.757
6	236	1.283
7	230	1.130
8	231	1.801
9	235	0.348
	योग :-	कुल रकबा-11.280 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-संगम-2 बांध परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-साँसर, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग तामिया जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

रा.प्र.क्र.-0001-अ-82-2022-23-भू-अर्जन

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत लहगडुआ से गुटेरा मार्ग लम्बाई 04.20 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में लहगडुआ से गुटेरा मार्ग लम्बाई 04.20 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	अमरवाडा	ग्राम- लहगडुआ प0ह0न0-07 ब0न0-51 रा0नि0म0- अमरवाडा-2	1.ग्यासवती पति सुन्दर लाल, सनिया पति जैलसिंग, कमला पति छिददी, धनवती पति सम्मू जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी 2.हरिया पिता डिमाक, रामकली पति मुंशी, छिददी, छतर उर्फ जैलसिंग, सुम्मू उर्फ सुम्मो पिता मुंशी जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	616/2 617	0.010 0.001	लहगडुआ से गुटेरा मार्ग लम्बाई 04.20 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने के संबंध में
			3.सुरजनलाल पिता रामदयाल जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	618	0.001	
		कुल योग		03	0.012 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 49-अ-82-2020-21-टिकारी-14026

बैतूल, दिनांक 23 दिसम्बर 2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (MPRO)	बैतूल	टिकारी	0.066	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र	प्रभावित कृषक का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जन का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	शिवेन्द्र पिता योगेन्द्रनाथ पाण्डे, निवासी बैतूल	985/33/1	0.088	0.004
2	मनोहरलाल व. आनन्दराव दाणी, निवासी बैतूल	985/1 985/2	0.080	0.004
3	नरिन्द्रकौर पति इन्द्रपालसिंह पोपली, निवासी बैतूल	985/39	0.384	0.032
4	मोनिका पति राकेश आहूजा, निवासी बैतूल	986/1	0.343	0.020
5	धीरेन्द्र पिता ब्रजलाल भाटिया, निवासी बैतूल	986/27 986/29	0.005 0.010	0.001
6	इंदिरा पति संतोष निरापुरे, निवासी बैतूल	986/30	0.008	0.001
7	तरुण पिता विठ्ठलराव ठाकरे, निवासी बैतूल	986/4	0.190	0.003
8	भागीरथ पिता हरिराम पंवार निवासी बैतूल	985/14 985/15	0.196	0.001
योग		11	1.304	0.066

① चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

② भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

③ समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 47-अ-82-2020-21-ठानी रैयत-14027

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	ठानी रैयत	0.662	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जन का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	मुबारिका पति अब्देअलीराजा, सा० बैतूल भूमि स्वामी	23/1	2.432	0.115
2	मुबारिका पति अब्देअलीराजा, सा० बैतूल भूमि स्वामी	23/2	2.428	0.180
3	रीमो पति कन्हैया, जनुस, संजू, सुमरति पिता कन्हैया, भूमि स्वामी सा० देह	24	0.073	0.025
4	अस्मा पति सैफुद्दीनराजा, निवासी बैतूल भूमि स्वामी	22/1	2.865	0.200
5	अस्मा पति सैफुद्दीनराजा, निवासी बैतूल भूमि स्वामी	22/2	2.870	0.142
योग		05	10.668	0.662

(2) चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) सम्वित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 48-अ-82-2020-21-मलकापुर-14028

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक. 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	मलकापुर	0.390	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जन का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	झीको बेवा नत्थू, सुरेश पिता नत्थू, कमल पिता नत्थू, रामप्रसाद पिता नत्थू, उर्मिला पुत्री नत्थू, सरिता बेवा जगन्नाथ, जितेन्द्र पिता जगन्नाथ, छोटे पिता जगन्नाथ, शिवा पिता जगन्नाथ, जाति पंवार सा० बैतूल भूमि स्वामी	103/2/1	0.334	0.061
2	श्री कमलाप्रसाद पिता नत्थू, जाति पंवार सा० बैतूल भूमि स्वामी	104/2/1	0.522	0.329
	योग	02	0.856	0.390

- (2) चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 44-अ-82-2020-21-केलापुर-14029

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	केलापुर	0.194	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जन का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	मल्लू व० नौखेलाल, जाति कुन्बी, सा० देह भूमि स्वामी	98/1	0.479	0.054
2	श्री शिवदयाल व० नौखेलाल, जाति कुन्बी, भूमि स्वामी सा० उमरी	98/3	0.971	0.140
	योग	02	1.450	0.194

(2) चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 10-अ-82-2021-22-चिचण्डा-13132

बैतूल, दिनांक 5 दिसम्बर 2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र०)	मुलताई	चिचण्डा	0.064	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जन का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	घुडी पुत्री गामन, सुंदरलाल, शंकर, हिराजी, झनक, नान्हू व० सुम्या जाति पंवार सा० देह भूमि स्वामी	163	1.190	0.012
2	निर्मला जोजे झनक जाति पंवार सा० देह भूमि स्वामी	164/2	0.303	0.027
3	हिराजी, सुंदरलाल व० तुम्या जाति पंवार सा० देह भूमि स्वामी	164/1	0.304	0.025
योग		03	1.797	0.064

(2) चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 15-अ-82-2021-22-छिन्दी-423

बैतूल, दिनांक 12 जनवरी 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे.में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	छिन्दी	0.140	छिन्दी लघु जलाशय के नहर निर्माण हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	ख.नं.	कुल रकबा हे.में	अर्जन का रकबा हे. में
1	2	3	4	5
1	लोकेश व. प्रभू मनीष व. प्रभू सा.देह भूमि स्वामी	529/2/1	0.803	0.065
2	रामसिंग व. भाखनसिंह सा.देह भूमिस्वामी	229/16	0.688	0.116
3	जैराम व. गोलकसिंह सा.देह भूमिस्वामी	229/3	0.202	0.050
4	कोमल पुत्री गोरू, भीरामव पिता टन्टी, अबलू पिता जगबीर, अमरसिंह पिता कसन, ओमप्रकाश पिता जगबीर, कमली पुत्री तीरथ, करणसिंह पिता जगतसिंह, कल्लू पिता तीरथ, कोमल पत्नी सुमेरसिंह, गुलमस बेवा टंटी, चम्पा पुत्री जगबीर, जसवंतसिंह पिता सूरत, झनकलाल पिता बदनसिंह, पार्वती पुत्री गोरू, रामा व. जगबीर, लज्जा व. तीरथ, लालसिंह व. जगबीर, शंकरसिंह व. सूरत, शंकरिया पुत्री सूरत, सतरूपा बेवा गोरू, सरस्वती पुत्री जगबीर, सुकरत बेवा सूरत, सुकलु पिता कसन, सुखवंती पिता सूरत सुनिता पिता जगबीर, कृष्णा पिता गोरू सा.देह भूमि स्वामी	229/1	2.788	0.115
5	सुकलू व. कसन, सा.देह भूमि स्वामी	229/4	0.301	0.023
6	कल्लू, लज्जा, कमली व. तीरथ सा.देह भूमि स्वामी	229/17/2	0.047	0.047

7	जैराम व. गोलकसिंह सा. देह भूमिस्वामी	229/11	0.045	0.023
8	विष्णु व. गोलक सा.देह भूमिस्वामी	229/10	0.045	0.023
9	रमेश, लालसिंह, धर्मराजसिंह व. खडकसिंह, सा.देह भूमिस्वामी	229/5	0.610	0.060
10	आवलसिंग, रामकिशोर, लालसिंह, ओमप्रकाश व. जगवीरसिंह, बुटनिया बेवा जगवीर सिंह, सा.देह भूमि स्वामी	228/4	0.312	0.178
11	बिल्लो पुत्री सोमलाल, भगवतसिंह पिता सिल्ली, मन्नु पिता सोमलाल, उन्नतीया पुत्री सोमलाल, धनपाल व. भददु, रामदयाल व. सोमलाल, तन्नी बाई बेवा रामदयाल सा.देह भूमि स्वामी	227	2.270	0.130
12	रघुनंदन, सुखनंदन व. डमकी सा.देह भूमिस्वामी	217/2	0.242	0.107
13	सोमलाल, विकलो बेवा सोमलाल, धनलाल व. भददु, हरचंद व. नत्थु, ग्यानी व. गोडे, राधेश्याम, मधुरसिंह, गौतमसिंह, राजेशसिंह, हरिशंकर, गोपाल व. रामदयाल, सोनम ना. बा. पिता दलबिर वली मामा राधेश्याम बेवा रामदयाल सा.देह भूमिस्वामी	209	1.019	0.109
14	हरक पुत्र नत्थु, ग्यानी पुत्र गोड, गोलन पुत्र मंजरा, मोहनसिंह पुत्र मंजरा, रोशनलाल पुत्र मंजरा, कुसुमलाल पुत्र मंजरा, रमको पुत्री मंजरा, सरबतिया पुत्री मंजरा, रघुनंदन पुत्र उमकी, सुखनंदन पुत्र उमकी, चम्पा पुत्री उमकी, सुरबल बेवा उमकी, रैना बेवा सुरत, पंजाब पुत्र सुरत, ज्ञानी पुत्री सुरत, मुन्नी पुत्री सुरत, धनलाल पुत्र भददु, बल्लु पुत्र शैली, रामदास पुत्र शैली, धनपाल पुत्र सोमलाल, मन्नु पुत्र सोमलाल, उन्नतीया पुत्री सोमलाल, विकलो बेवा सोमलाल, राधेश्याम पुत्र रामदयाल, मधुसिंह पुत्र रामदयाल, गौतमसिंह पुत्र रामदयाल, राजेशसिंह पुत्र रामदयाल, हरिशंकर पुत्र रामदयाल, गोपालसिंह पुत्र रामदयाल, सोनम नाबालिग पुत्री दलबीर संरक्षक राधेश्या मसा. देह भूमि स्वामी	210	0.032	0.016
15	हजारीसिंह, गुलजारसिंह, जसवंतसिंह व. बल्लूसिंह, जसवनिया पुत्री बल्लूसिंह, रामभरोसे व. रामदास, नन्दू व. रामदास, रामकलिया पिता रामदास, सुल्को, सरजू पिता रामदास, रतनिया बे. रामदास, कैलो बे. मटरू, चम्पी पिता मटरू, पंजाब व. सुरत, मोहनसिंह, गोलनसिंह, कुसुमलाल, रोशनलाल व. मंजरासिंह, रमको पिता मंजरासिंह सरबतिया पिता मंजरासिंह रघुवंशी सा.देह भूमिस्वामी	212	0.081	0.016
16	रघूसिंह पिता गोलनसिंह, किर्ती पिता रघूसिंह, आशाबाई पिता रघूसिंह, कविता पिता रघूसिंह सा.देह भूमिस्वामी	211/1	0.100	0.033
17	सुनील व. नंदकिशोर सा.देह भूमिस्वामी	198	0.243	0.089
18	रघूसिंह पिता गोलनसिंह, किर्ती पिता रघूसिंह, आशाबाई पिता रघूसिंह, कविता पिता रघूसिंह सा.देह भूमिस्वामी	193/3	0.850	0.105
19	नारायणसिंह, महतापसिंह, इन्दलसिंह व. यदुसिंह, गीता पिता यदुसिंह सा.देह भूमिस्वामी	192/2	1.315	0.065
20	इमरत व. हरचन्द्र सा.देह भूमिस्वामी	192/1	1.319	0.063
21	अवलसिंह, रामकिशोर, लालसिंह, ओमप्रकाश	118	0.676	0.052

	व. जगवीर, चम्पा सरस्वती पिता जगवीर सा. देह. भूमिस्वामी			
22	अवलसिंह, रामकिशोर व. जगवीर सा.देह भूमिस्वामी	191	0.433	0.078
23	बिल्लो पुत्री सोमलाल, भगवतसिंह पिता सिल्ली, मन्नु पिता सोमलाल, उन्नतीया पुत्री सोमलाल, धनपाल व. भददू, रामदयाल व. सोमलाल, तन्नी बाई बेवा रामदयाल सा.देह भूमिस्वामी	119	0.567	0.111
24	धनपाल, मन्नु व. सोमलाल, उन्नतीया पिता सोमलाल, विकलो बे. सोमलाल, राधेश्याम, मधुरसिंह, गौतमसिंह, राजेशसिंह, हरिशंकर, गोपालसिंह व. रामदयाल, तन्नीबाई बे. रामदयाल, सोनम ना.बा. पिता दलवीर वली मामा राधेश्याम, इन्द्रे व धनलाल गाडो बे. चैनु उर्फ चैनसिंह, भैयालाल उर्फ इन्द्रेसिंह, नन्दुसिंह, अशोक राजेश उर्फ अज्जु व.चैनु उर्फ चैनसिंह, इन्द्रा, भूरी पिता चैनु उर्फ चैनसिंह सा. देह भूमिस्वामी	120	1.740	0.154
25	धनपाल, मन्नु व. सोमलाल, उन्नतीया पिता सोमलाल, विकलो बे. सोमलाल, राधेश्याम, मधुरसिंह, गौतमसिंह, राजेशसिंह, हरिशंकर, गोपाल व. रामदयाल, तन्नीबाई बे. रामदयाल, सोनम ना.बा. पिता दलवीर संरक्षक राधेश्याम सा.देह भूमि स्वामी	133	0.121	0.053
26	धनलाल व. भददू सा.देह भूमिस्वामी	132	1.052	0.140

- (2) चूँकि छिन्दी जलाशय की नहर के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग

प्रकरण क्र०/०००२/अ-८२/२०२१-२२ टीकमगढ़, दिनांक ३०.१०.२२ पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम २०१३ की धारा-१५ (१)के अतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तारीख से ग्रावधानित समय सीमा ६० दिवस की समयावधि में कोई आपति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम २०१३ की धारा १५(२) के अतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया की नीचे दी गई अनुसूची कंडिका क्र(२) में वर्णित भूमि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम २०१३ की धारा १९ के अतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (२) में वर्णित भूमि लोक प्रयोजन के लिये आवश्यक है-

अनुसूची

- (१) भूमि का वर्णन-
(क) जिला टीकमगढ़
(ख) तहसील खरगापुर
(ग) नगर/ग्राम- बछौड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल

क्र	भूमि स्वामी क नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल प्रस्तावित अर्जित रकबा
१	२	३	४	५
1	परमलाल धानीलाल पिता नन्ने	482	0.303	0.016
		474	0.146	0.012
2		481	0.178	0.012
3	दूटा तनय १/५, प्रभुदयाल रामकिशोर तनय मथरा मु. पार्वती बेबी मथरा १/५, निरपत स्वामी तनय ठलू ७/४५, जुदा पिता चिन्टोला १/५ रामकुंवर पुत्री ठलू मु जशोदा बेबा ठलू २/४५, पार्वती पत्नी निरपत १/५	476	0.267	0.012
4	हरदास पिता अर्जुन, दुडा पिता नन्ने	473	0.125	0.009
		464	0.02	0.001
		471	0.049	0.008
		472	0.542	0.020
5	शिवलाल पुत्र आशाराम १/४, मनकलाल पुत्र गोना १/४, हल्के पुत्र चिरपल्ले १/४, ऊषा पत्नी पुष्पेंद्र १/४	468	0.101	0.004
		470	0.016	0.004

6	कूरा पिता अर्जुन 291/245, हरदास तनय अर्जुन 54/345	465	0.21	0.012
		466	0.073	0.012
		467	0.384	0.012
7	सुंदर खडी घनश्याम भागीरथ काशीराम पुत्र नन्ने 5/18, नन्नीबाई पति नन्ने 1/18, परमा पुत्र परदासी 1/3, सुंदर खडिया धनसू काशी भागीरथ पिता नन्ने 1/3	436	0.417	0.012
		451	0.174	0.020
		452	0.271	0.001
8	आधार पत्नी मानिकराम	446	1.26	0.008
		459	0.121	0.008
9	परमा पुत्र परसाद 1/3, सुंदर पुत्र नन्ने 11/90, भागीरथ पुत्र नन्ने 11/90, घनश्याम पुत्र नन्ने 11/90, खडिया पुत्र नन्ने 11/90, काशीराम पुत्र नन्ने 11/90, नन्नीबाई बेवा नन्ने 1/18	600	0.057	0.008
		601	0.073	0.073
		602	0.109	0.016
10	भजनलाल गोरेलाल पिता गोकल मु सरजूबाई बेवा गोकल 1/3, दलु पिता उमराव 1/6, भजनलाल गोरेलाल पिता गोकल मु सरजू बेवा गोकल 2/6, मुकेश रामप्रसाद तनय लाल्ले मु रामकुवर बेवा लाल्ले 2/6	604	0.235	0.012
11	गिरधारी पिता तनसे वृंदावन मनका पिता गोना मु लल्ली बाई बेवा गोना दुर्जन नंद हल्के पिता चिरपल्ले 3/10, उजयारे जुददा मथरा अन्तु पिता चिंटोले हि 1/25, खज्जू पिता बदर हि 2/5, कूरा पिता अर्जुन हि 1/5, नाथूराम तनय अच्छेलाल हि 1/20, हरदास तनय अर्जुन बृजलाल तनय कूरे बराबर, निरपत स्वामी तनय ठल्लू हि. 7/900, रामकुवर पुत्री ठल्लू मु. जशोदा बेवा ठल्लू 2/900	460	0.166	0.142
12	मोहन पिता खलका हि 1/3, भजनलाल गोरेलाल पिता गोकल हि 1/3, दलुवा पिता उमराव हि 2/9, भजनलाल गोरेलाल पिता गोकल, मुकेश रामप्रसाद तनय लाल्ले मु. रामकुवर बेवा लाल्ले हि 2/9, दलु लाल्ले पिता उमराव 1/3, गोरेलाल तनय गोकल	457	0.251	0.004
13	गिरधारी पिता तनसे दुर्जन नंद हल्के पिता चिपल्ले, वृंदावन मनका पिता गोना मु. लल्लीबाई बेवा गोना हि 3/10, उजयारे जुददा अंतु पिता चिंटोला हि 1/25, अच्छेलाल पिता डिम्मू 1/20, धनसू भयन पिता मोहनलाल मलपुर्वीबारी बेवा मोहन 1/5, नन्नु पिता हीरा हि 1/5, कूरा पिता अर्जुन 1/5, निरपत स्वामी तनय ठल्लू 7/900, रामकिशोर प्रमूदयाल तनय मथुरा मु. पार्वती बेवा मथुरा 1/100, रामकुवर पुत्री ठल्लू मु. जशोदा बेवा ठल्लू 2/900	478	0.073	0.065
14	भूरालाल बाबुलाल बालादीन पुत्र सुंदर 1/5, दीनदयाल हरिनारायण पुत्र खडी उर्फ गजाधर 1/5, हरदयाल पुत्र घनश्याम 1/5, नाथूराम रामस्वरूप पुत्र काशीराम 1/5, भागीरथ पिता नन्ने 1/5	435	0.728	0.008

15	कूरा हरदास पिता अर्जुन 1/2, कन्हैया लडा पिता नन्ने 1/2	493	1.011	0.012
	योग-	27	7.360	0.523

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बान सुजारा सिंचाई परियोजना (सूक्ष्म सिंचाई पद्धति)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जाता है।

प्रकरण क्र०/०००/अ-82/2021-22 टीकमगढ़, दिनांक ~~3-10-22~~ पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 (1)के अतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तारीख से ग्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया की नीचे दी गई अनुसूची कंडिका क्र(2) में वर्णित भूमि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित भूमि लोक प्रयोजन के लिये आवश्यक है-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला टीकमगढ़
 (ख) तहसील खरगापुर
 (ग) नगर/ग्राम- रामपुरा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल

क्र	भूमि स्वामी क नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल प्रस्तावित अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	राजाराम रमेश खचोरी तनय परमादी 1/6, नाथूराम तनय मोहन हि 1/6, बालादिन हरचरण तनय प्यारेलाल 1/3, रामदयाल तनय हरदास 10/54, चुरामन मोतीलाल राम प्रसाद छन्नु तनय हरदास 8/54 जाति लोधी	979	4.059	0.259
		983	2.691	0.048
		981	0.134	0.012
2	मथुरा तनय नन्ने जाति चढ़ार 1/3, हल्काई पुत्र दौलत जाति चढ़ार 1/3, रजन पुत्र दलुवा जाति चढ़ार 1/18, हल्के पुत्र दलुवा जाति चढ़ार 1/18, दसइया पुत्र दलुवा जाति चढ़ार 1/18, बालकिशन पुत्र लक्ष्मीप्रसाद जाति चढ़ार 1/6	999	0.789	0.125
		1000	0.105	0.002
		998	0.093	0.004
3	सहदेव पुत्र भागुन्ता 1/30, नात्युबाई नोनीबाई लाडकुंवर पुत्री शिमला 5/180, रुबी वंदना छाया नाबालिक पुत्री हरचरण 1/180, उमदी रामकली भागवती पुत्री भूमनिया 1/30, मक्खन पुत्र बुददा 1/30, जैब पुत्री गुलखा 1/9, ठलुवा बलिया पुत्र अच्छु 1/6, मक्खन पुत्र बुददा मुनिया बेवा बुददा 1/4, बालदीन लल्लू पुत्र प्रागी 1/4, दिनेश देवेन्द्र पुत्र ग्यासी 1/60, अशोक पुत्र नारायणदास 1/36, मकुंदी फरसराम पुत्र कडोरी 1/36, राजाबाई बेवा ग्यासी 1/120, देवीचरण नाबालिक पुत्र ग्यासी	1006	0.518	0.065
		1007	0.02	0.012
	योग-	8	8.672	0.604

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बान सुजारा सिंचाई परियोजना (सूक्ष्म सिंचाई पद्धति)
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुभाष कुमार द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग

क्र.-02-भू-अर्जन-2022-प्र.क्र.-0001-अ-82-2022-23

बालाघाट, दिनांक 10 जनवरी 2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने उनके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 (क.30 सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूचित के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक कार्यालय उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नैनपुर (मध्यप्रदेश) विभाग द्वारा गोंदिया-नैनपुर-जबलपुर अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

// अनुसूची //

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	4	5	6
1.	2	3			
बालाघाट	बालाघाट	लामता प.ह.नं. 7/17	निजी भूमि रकबा 0.022 हेक्टेयर	कार्यालय उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नैनपुर म0प्र0	छोटी लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तन करने हेतु

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड dmbalaghat@nic.in एवं म0प्र0राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देख सकता है।

2. अर्जित भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा0 एवं भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यालय उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नैनपुर म0प्र0 में देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इंदौर मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग

क्र.-130-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-22-प्र.क्र.-01-अ-82-2022-23

डॉ. अम्बेडकर नगर इंदौर, दिनांक 18 जनवरी 2023

(अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 [क. 30 सन् 2013])

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाते (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 [क. 30 सन् 2013] की धारा-11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है ।

प्रस्तावित सिमरोल-आम्बाचन्दन माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस के लिए एयर वसल व कम्प्रेसर रूम के निर्माण कार्य की प्रकृति लोक हित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है, जिस हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है । अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है । इस कारण से धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है ।

// अनुसूची (1) //

अनुभाग-डॉ.अम्बेडकर नगर (महू), जिला इंदौर

ग्राम-सिमरोल

क.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
	सिमरोल-आम्बाचन्दन माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस के लिए एयर वसल व कम्प्रेसर रूम के निर्माण के कार्य	0.022	0.000	0.022
	योग	0.022	0.000	0.022

// अनुसूची (2) //

सिमरोल-आम्बाचन्दन माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस के लिए एयर वसल व कम्प्रेसर रूम के निर्माण के कार्य प्रयोजन हेतु ग्राम सिमरोल, अनुभाग डॉ.अम्बेडकर नगर (महू), जिला इंदौर की प्रभावित भूमि का विवरण ।

क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	कृपाशंकर पिता महादेव प्रसाद	947/7/1/1	1.735	0.000	1.735	0.022	0.000	0.022
	योग		1.735	0.000	1.735	0.022	0.000	0.022

नोट:- (1) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है ।

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग डॉ.अम्बेडकर नगर (महू), जिला इंदौर (म.प्र.) एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक 21, सनावद, जिला खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इलैयाराजा टी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद,
जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

पत्र क्र.-2270-भू-अर्जन-2022-रा.प्र.क्र.-0031-अ-82-2020-21

कसरावद, दिनांक 23 दिसम्बर 2022

प्ररूप-ख

नियम 5 का उपनियम (2) देखिये

अतएव, राज्य सरकार को लोकोहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन / डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- नायदड़, प.ह.नं.- 33, रा.नि.मं.-01, बालसमुद, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2012) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोक्ता के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	
खरगोन	कसरावद	ग्राम- नायदड़, प.ह.नं.- 33	742	0.005	
			743		
			744		0.005
			745		0.003
			746		0.004
			748/1		0.003
			748/2		0.001
कुल योग			06	0.021	

पत्र क्र.-2272-भू-अर्जन-2022-रा.प्र.क्र.-0032-अ-82-2020-21

प्ररूप-ख
नियम 5 का उपनियम (2) देखिये

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन/ग्रेविटीमेन पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- रसवा, प.ह.नं.- 40, रा.नि.मं.-02, बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- रसवा, प.ह.नं.- 40	219	0.003
			270	0.020
			264/1	0.001
			303/7	0.005
			264/2	0.001

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का/कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद *	ग्राम - रसवाँ प.ह.नं. - 40	264/3	0.001
			303/5	0.006
			312/5	0.006
			264/4	0.001
			212/3	0.006
			284/2	0.009
			291/3	0.008
			212/5	0.007
			291/4	0.006
			303/3/2	0.003
			296	0.002
			290	0.006
			293	0.004
			288/1	0.007
			288/2	0.005
			284/1	0.008
			302/3	0.011
			302/1	0.008
			302/2	0.008
			303/3/1	0.010
			303/6	0.006
			303/4	0.005
			303/2	0.011
			312/4	0.003
			351/1	0.019
			321	0.001
			312/2	0.003
			312/3	0.007
			317/1	0.006
			317/2	0.006
			250/1	0.008
			250/2	0.018
250/3	0.022			
238	0.003			
232/6	0.003			
231	0.011			
230	0.003			
229	0.006			

जिला	तहसील	ग्राम पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम - रसवा, प.ह.नं. - 40	227	0.003
			225	0.009
			226	0.003
			224	0.003
			220	0.004
			221	0.004
			353	0.014
			415	0.009
			416	0.001
			352/5	0.010
			350	0.009
			349/1	0.006
			349/2	0.004
			392/1/1	0.004
			342	0.011
			341	0.007
			340	0.009
			363/1	0.002
			363/5	0.005
			364/6	0.005
			364/4	0.004
			364/26	0.002
			364/24	0.007
			264/27	0.004
			364/30	0.001
364/22	0.004			
364/31	0.002			
364/23	0.002			
396/1	0.006			

खरगोन	कसरावद	ग्राम - रसवा, प.ह.नं. - 40	404	0.021
			406	0.006
			409	0.004
			410	0.003
			412/1	0.006
			412/2	0.005
			412/4	0.007
			502	0.010
			503	0.009
			339/3	0.001
कुल योग			82	0.519

पत्र क्र.-2274-भू-अर्जन-2022-रा.प्र.क्र.-0009-अ-82-2022-23

प्ररूप-ख
नियम 5 का उपनियम (2) देखिये

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं.- 44, रा.नि.मं.-02, बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं.- 44,	9/1	0.010
			9/7	0.005
			9/2	0.008
			9/3	0.004
			9/4	0.011

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का-कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- रामपुरा/ प.ह.नं- 44,	7/1	0.003
			85/2	0.016
			81/3	0.002
			81/4	0.010
			81/5	0.009
			77	0.004
			70/3	0.003
			70/2	0.001
			91/6	0.011
			70/1	0.010
			67/1	0.001
			69/2	0.004
			68	0.009
			145	0.010
			144	0.005
			150	0.007
			151	0.008
			152	0.010
153/1	0.006			
153/2	0.006			
154/1	0.005			
154/2	0.003			

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का-कमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम-ससपुरा, प.ह.नं.-44,	157	0.007
			158	0.006
			159/2	0.006
			160/2	0.006
			161/3	0.005
			163/3	0.004
			162/1	
			162/3	--
			163/4	0.004
			164/3	0.001
			165	0.003
			166	0.010
			167	0.003
			168	0.003
			172	0.002
			174	0.003
177/2	0.009			
कुल योग			41	0.247

पत्र क्र.-2276-भू-अर्जन-2022-रा.प्र.क्र.-0010-अ-82-2022-23

प्ररूप-ख
नियम 5 का उपनियम (2) देखिये

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन / डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- बाजीटपुरा प.ह.नं.- 48, रा.नि.मं.-02, बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना संसलंगन अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- बाजीटपुरा प.ह.नं.- 48	128/1/1	0.012
			127/2	0.006
कुल योग			02	0.018

पत्र क्र.-2270-भू-अर्जन-2022-रा.प्र.क्र.-0031-अ-82-2020-21

प्ररूप-ख
नियम 5 का उपनियम (2) देखिये

अतएव, राज्य सरकार को ~~लोकोहित~~ में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन / डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- नायदड़, प.ह.नं.- 33, रा.नि.मं.-01, बालसमुद, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमंठक- 5 सन् 2012) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- नायदड़, प.ह.नं.- 33	742	0.005
			743	
			744	0.005
			745	0.003
			746	0.004
			748/1	0.003
			748/2	0.001
कुल योग			06	0.021

पत्र क्र.-2272-भू-अर्जन-2022-रा.प्र.क्र.-0032-अ-82-2020-21

प्ररूप-ख
नियम 5 का उपनियम (2) देखिये

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन/ग्रेविटीमेन पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- रसवा, प.ह.नं.- 40, रा.नि.मं.-02, बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- रसवा, प.ह.नं.- 40	219	0.003
			270	0.020
			264/1	0.001
			303/7	0.005
			264/2	0.001

जिला	तहसील	ग्राम-पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम-रसवा, प.ह.नं.-40	264/3	0.001
			303/5	0.006
			312/5	0.006
			264/4	0.001
			212/3	0.006
			284/2	0.009
			291/3	0.008
			212/5	0.007
			291/4	0.006
			303/3/2	0.003
			296	0.002
			290	0.006
			293	0.004
			288/1	0.007
			288/2	0.005
			284/1	0.008
			302/3	0.011
			302/1	0.008
			302/2	0.008
			303/3/1	0.010
			303/6	0.006
			303/4	0.005
			303/2	0.011
			312/4	0.003
			351/1	0.019
			321	0.001
			312/2	0.003
			312/3	0.007
			317/1	0.006
			317/2	0.006
			250/1	0.008
			250/2	0.018
250/3	0.022			
238	0.003			
232/6	0.003			
231	0.011			
230	0.003			
229	0.006			

जिला	तहसील	ग्राम / पट्टवारी हल्का-कमाक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- रसवां, प.ह.नं.- 40	227	0.003
			225	0.009
			226	0.003
			224	0.003
			220	0.004
			221	0.004
			353	0.014
			415	0.009
			416	0.001
			352/5	0.010
			350	0.009
			349/1	0.006
			349/2	0.004
			392/1/1	0.004
			342	0.011
			341	0.007
			340	0.009
			363/1	0.002
			363/5	0.005
			364/6	0.005
			364/4	0.004
			364/26	0.002
			364/24	0.007
264/27	0.004			
364/30	0.001			
364/22	0.004			
364/31	0.002			
364/23	0.002			
396/1	0.006			

जिला	तहसील	ग्राम/मुहवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- रसवा, प.ह.नं.- 40	404	0.021
			406	0.006
			409	0.004
			410	0.003
			412/1	0.006
			412/2	0.005
			412/4	0.007
			502	0.010
			503	0.009
			339/3	0.001
कुल योग			82	0.519

पत्र क्र.-2274-भू-अर्जन-2022-रा.प्र.क्र.-0009-अ-82-2022-23

प्ररूप-ख

नियम 5 का उपनियम (2) देखिये

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं.- 44, रा.नि.मं.-02, बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं.- 44,	9/1	0.010
			9/7	0.005
			9/2	0.008
			9/3	0.004
			9/4	0.011

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम - रामपुरा, प.ह.नं.- 44,	7/1	0.003
			85/2	0.016
			81/3	0.002
			81/4	0.010
			81/5	0.009
			77	0.004
			70/3	0.003
			70/2	0.001
			91/6	0.011
			70/1	0.010
			67/1	0.001
			69/2	0.004
			68	0.009
			145	0.010
			144	0.005
			150	0.007
			151	0.008
			152	0.010
			153/1	0.006
			153/2	0.006
154/1	0.005			
154/2	0.003			

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं.- 44,	157	0.007
			158	0.006
			159/2	0.006
			160/2	0.006
			161/3	0.005
			163/3 162/1	0.004
			162/3	--
			163/4	0.004
			164/3	0.001
			165	0.003
			166	0.010
			167	0.003
			168	0.003
			172	0.002
			174	0.003
177/2	0.009			
कुल योग			41	0.247

पत्र क्र.-2276-भू-अर्जन-2022-रा.प्र.क्र.-0010-अ-82-2022-23

प्ररूप-ख
नियम 5 का उपनियम (2) देखिये

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन / डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- बाजीटपुरा प.ह.नं.- 48, रा.नि.मं.-02, बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- बाजीटपुरा प.ह.नं.- 48	128/1/1	0.012
			127/2	0.006
कुल योग			02	0.018

अग्रिम कुमार, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह,
जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

पत्र क्र.-244-रीडर-1-2023

बड़वाह, दिनांक 20 जनवरी 2023

प्ररूप-ख
नियम 5 का उपनियम (2) देखिये

क्रमांक- 13/अ-82/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 53.63 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 ग्राम-बावड़िया से ग्राम- खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 03 व 04 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बाल्या प.ह.नं.- 27/75, रा.नि.मं.-01, बेड़िया, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम- बाल्या प.ह.नं.- 27/75,	121/2	0.016
			121/3	0.016
			120/2	0.053
			120/4	0.008
			120/3	0.038

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम- बाल्या प.ह.नं.- 27 / 75,	120/1	0.053
			119	0.044
			118/5	0.023
			118/3	0.028
			118/2	0.023
			130	0.080
			72/2	0.030
			72/3	0.008
			118/4	0.021
			94	0.048
			95/8	0.014
			95/7	0.031
			95/6	0.052
			92/7	0.020
			92/5	0.039
			92/4	0.038
			92/1	0.019
			92/12	0.020
			92/10	0.012
			92/2	0.020
			92/11	0.034
			92/9	0.020
			92/18	0.005
			92/19	0.009
			87/3	0.044
			87/4	0.024
			87/1	0.148
86	0.010			
85	0.019			
9/1	0.044			
39/2	0.013			
39/14	0.020			
कुल योग			37	1.144

पत्र क्र.-247-रीडर-1-2023

प्ररूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिये)

क्रमांक-14 /अ-82/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 53.63 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 ग्राम-बावड़िया से ग्राम- खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 03, 04 व 36 में जल परिवहन हेतु ग्राम- हीरापुर प.ह.नं.-29 , रा.नि.मं.-02, सनावद, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम- हीरापुर प.ह.नं.-29 ,	86/1	0.048
			108/6	0.042
			108/5	0.013
			108/4	0.020
			108/3	0.016

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम- हीरापुर प.ह.नं.-29 ,	108/10	0.014
			108/8	0.020
			108/9	0.024
			9/1	0.045
			9/4	0.007
			45	0.104
			69	0.072
			44/1	0.076
			73	0.018
			76/2	0.035
			72/2	0.070
			71/2	0.014
			72/1	0.036
			76/6	0.014
			76/4	0.024
			76/1	0.005
			79/2	0.026
			10/4	0.013
			10/6	0.004
			10/5	0.042
			9/3	0.050
			9/6	0.028
			76/3	0.084
			208	0.130
			210/1	0.012
			210/2	0.011
			206/1	0.030
			212/4	0.008
			212/3	0.036
			212/5	0.023
212/1/1	0.030			
212/1/2	0.031			
214/5	0.048			
214/3	0.033			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम— हीरापुर प.ह.नं.—29	214/2	0.033
			214/1	0.048
			203	0.032
			55	0.057
			405	0.074
			402/1	0.030
			402/4	0.030
			417/4	0.031
			417/1	0.016
			409	0.090
			410	0.008
			413/1/1	0.021
			413/3/1	0.030
			413/3/2	0.016
			152/3	0.004
			212/2	0.024
206/3	0.029			
कुल योग			56	1.929

पत्र क्र.-250-रीडर-1-2023

प्ररूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिये)

क्रमांक- 15/अ-82/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम-दौड़वा, तह0- भीकनगांव से ग्राम- बोरगांव, तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 05 एवं 15 में जल परिवहन हेतु ग्राम- जिरावट, प.ह.नं.-52, रा.नि.मं.-02, सनावद, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम- जिरावट, प.ह.नं.-52,	37	0.009
			35/1	0.094
			38/1	0.064
			32/2	0.030
			31/1	0.004

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम— जिरावट, प.ह.नं.—52;	29	0.010
			30/2	0.095
			77	0.031
			78	0.009
			76/1	0.076
			88/1	0.015
			278	0.207
			88/2	0.027
			87/1	0.049
			284/1	0.014
			285/1	0.067
			280/7	0.007
			279/8	0.031
			268/1	0.042
			268/2	0.032
			266/1	0.019
			266/2	0.031
			266/3	0.028
			266/4	0.043
263/3	0.029			
264/2	0.064			
कुल योग			26	1.127

पत्र क्र.-253-रीडर-1-2023

प्ररूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिये)

क्रमांक- 16 /अ-82/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम-दौड़वा, तह0- भीकनगांव से ग्राम- बोरगांव, तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 05 एवं 15 में जल परिवहन हेतु ग्राम- छापरा, प.ह.नं.-52, रा.नि.मं.-02, सनावद, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम- छापरा, प.ह.नं.-52,	313/6	0.012
			316/6	0.057
			316/1	0.028
			316/7	0.002
			323/1	0.035

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम- छापरा, प.ह.नं.-52,	324/1	0.033
			322/1	0.024
			324/2	0.077
			324/3	0.023
			326/1	0.004
			326/2	0.026
			314/2	0.003
			314/1	0.061
			311	0.038
			49	0.026
			50/2	0.068
			44	0.048
			43	0.035
			55/2	0.030
			55/1	0.038
56	0.045			
54/2	0.007			
कुल योग			22	0.720

पत्र क्र.-256-रीडर-1-2023

प्ररूप-ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिये)

क्रमांक- 17/अ-82/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम-दौड़वा, तह0- भीकनगांव से ग्राम- बोरगांव, तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेंट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 05 में जल परिवहन हेतु **ग्राम- दसोड़ा, प.ह.नं.-53, रा.नि.मं.-02, सनावद, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन** मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है; उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम- दसोड़ा, प.ह.नं.-53,	517/2	0.003
			516/2	0.027
			516/1	0.024
			514/6	0.041
			514/4	0.042
खरगोन	सनावद	ग्राम- दसोड़ा, प.ह.नं.-53,	491/4	0.032
			491/5	0.041
			489	0.006
			488	0.010
कुल योग			11	0.226

बी.एस. कलेश, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी
भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

क्र.-454-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-अ-82-2022-23

भीकनगांव, दिनांक 24 जनवरी 2023

प्ररूप-ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिये)

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम- बडिया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-92 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- ढाकबर्डि प.ह.नं.- 29, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- ढाकबर्डि प.ह.नं.- 29, -	5/6/1	0.056
			6/1	
			3/3	
			9/7	
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- ढाकबर्डि प.ह.नं.- 29,	35/2	0.039
			19/1	0.135
			19/2	0.109
कुल योग			06	0.563

रा.प्र.क्र.-अ-82-2022-23

प्ररूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिये)

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिजलवाडा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 83.045 कि०मी० पर ग्राम- पिपलाई बुजुर्ग, तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम- पिपलाई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कोदला जागीर, प.ह.नं.- 44 तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- कोदला जागीर, प.ह.नं.- 44	85/1	0.100
			85/2	0.025
			84/1	0.065
			90/11	0.015
			91/11	
			90/10	0.022
91/10				
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- कोदला जागीर, प.ह.नं.- 44	90/3/2	0.040
			91/3/2	
			90/3/3	0.015
			96/1	0.078
			96/2	0.025
			96/5	0.095
			96/3	0.040
			103/5	0.030
			105/2	0.095
			कुल योग	

क्र.-485-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-अ-82-2022-23

प्ररूप-ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिये)

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- दौडवा, तह0- भीकनगांव से ग्राम- बोरगांव, तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 05, 08, 17, 20 एवं 32 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बोरगांव, प.ह.नं.- 12, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	तहसील, भीकनगांव	ग्राम- बोरगांव, प.ह.नं.- 12,	289/2	0.092
			288/5	0.062
			288/4	0.021
			288/3/2	0.022
			288/3/1	0.021

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	दिसवाड़ा भीमनजाल	ग्राम- बोरगांव, प.ह.नं.- 12,	288/2	0.024
			288/1	0.020
			279/2/2	0.052
			279/2/1	0.005
			281/3	0.060
			281/2/2/1	0.052
			281/2/1/2	0.062
			281/1	0.030
			271/7/1	0.045
			271/6	0.032
			271/8	0.022
			272/1/1	0.082
			128/8	0.002
			37/4	0.026
			65/4	
			129/5/2	0.035
			130/3	0.064
			130/6	0.059
			130/5	0.016
			130/4	0.017
			130/2/2/1	0.002
			130/2/2/2	0.002
			131/2	0.050
			131/1	0.002
			36/136/3	0.040
			35/3	0.064
			30/1	0.098
			163/11	0.020
			163/7	0.012
			141	0.014
			140	0.067
			144/1-144/2	0.082
157/1/1	0.053			
148/1	0.011			
390/1	0.044			
388	0.005			
389	0.014			
417/1/1/1/1	0.004			

A

// 3 //				
जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— बोरगांव, प.ह.नं.— 12	417/1/1/1/3	0.032
			417/5/1/1	0.008
			417/5/2/1	0.009
			417/5/3/1	0.007
			417/5/4/1	0.009
			417/5/5/1	0.010
			417/5/6/1	0.009
			168/12	0.010
			168/13	0.018
			168/14	0.017
			168/15/1	0.012
			168/15/2	0.060
			168/17/1	0.027
			167/6	0.013
			95/7	0.028
			95/10	0.029
			95/2	0.025
			95/3	0.035
			417/2	0.014
			417/4/1	0.048
94/2/3	0.023			
418/2/1	0.003			
कुल योग			64	1.953

क्र.-487-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-अ-82-2022-23

प्ररूप-ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिये)

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- दौडवा, तह0- भीकनगांव से ग्राम- बोरगांव, तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 08 0 37 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मेहत्याखेड़ी, प.ह.नं.-15/94, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- मेहत्याखेड़ी, प.ह.नं. -15/94,	163/1	0.012
			166/1	0.023
			166/2	0.004
			286/1	0.028
			13/1/1/1	0.027

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- मेहत्याखेड़ी, प.ह.नं. -15/94,	13/1/1/3	0.025
			13/1/1/2	0.002
			286/2	0.019
			292/1/3	0.028
			292/2	0.060
			296/4	0.037
			260/6	0.003
			260/4	0.026
			260/5	0.044
			301/2	0.012
			130/2 131/2	0.003
			130/3 131/3	0.036
			130/4 131/4	0.031
			130/5 131/5	0.040
			16/4	0.005
			11/1/2	0.020
			10/1/1/1	0.061
			10/1/1/2	0.092
			4/1	0.005
			36/2 37/2	0.046
			36/3 37/3	0.068
			71/2	0.024
			71/3	0.085
			72/2	0.090
			72/311	0.014
			74	0.060

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— मेहत्याखेड़ी, प.ह.नं. —15/94,	75	0.012
			76/2	0.026
			77/2	0.010
			77/1	0.037
			65/1	0.086
			64/1/3	0.0165
			64/1/4	0.0275
			63/2	0.007
			56	0.138
			63/1	0.044
कुल योग			41	1.434

मिलिन्द ढोके, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 16th January, 2023

No. 88-Confdl.-2023-II-2-1-2023.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur is conducting Colloquium for Principal District & Sessions Judges on 4th & 5th February, 2023 in the Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur Judges, whose names and posting figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Colloquium.

By order of Hon'ble Chief Justice,
RAMKUMAR CHOUBEY, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

क्र. B-6193-दो-2-17-2016.—श्री एन. पी. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को दिनांक 6 से 9 दिसम्बर 2022 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एन. पी. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-6182-दो-2-37-2021.—श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 5 से 9 दिसम्बर 2022 तक पाँच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भारत सिंह रावत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-6196-दो-2-33-2021.—श्रीमती प्रवीणा व्यास, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2022 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रवीणा व्यास, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती प्रवीणा व्यास, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-4857-दो-2-37-2021.—श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 15 से 18 नवम्बर 2022 तक चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भारत सिंह रावत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6580-दो-2-33-2020.—श्री काशीनाथ सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को दिनांक 19 से 21 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 दिसम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री काशीनाथ सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री काशीनाथ सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6578-दो-2-3-2018.—श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को दिनांक 28 से 29 नवम्बर 2022 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6574-दो-2-57-2020.—श्रीमती विधि सक्सेना, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2022 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जनवरी 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-6198-दो-2-35-2021.—श्रीमती शशिकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

1. दिनांक 26 नवम्बर 2022 का एवं 28 नवम्बर 2022 का कुल दो दिन का आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 26 से 30 नवम्बर 2022 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकांता वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-2629-दो-2-38-2018.—श्री आर. सी. वाष्ण्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 28 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2022 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 नवम्बर 2022 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 दिसम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. वाष्ण्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. वाष्ण्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6589-दो-2-3-2018.—श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को दिनांक 6 से 10 दिसम्बर 2022 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6582-दो-2-41-2019.—श्री धीरेन्द्र सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को दिनांक 8 दिसम्बर 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री धीरेन्द्र सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री धीरेन्द्र सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2625-दो-2-34-2019.—श्री प्रियदर्शन शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नर्मदापुरम को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2022 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रियदर्शन शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रियदर्शन शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-2627-दो-2-21-2019.—श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2022 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 10 जनवरी 2023

क्र.-अवकाश 71.—श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अजय प्रकाश मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.